FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• प्रेम कंवर पत्नी नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अरांई तहसील अराई जिला अजमेर राज0

बनाम

• आसु सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपुरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर जयपुर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 45/2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 54

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा वकील अप्रार्थीगण........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19/06/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.06.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। तालबी [illegible]........हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते......तालबी अप्रार्थीगण......हेतु दिनांक 24/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई 24/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
23/8/…	पत्रावली पेश हुई आज [illegible]...... [illegible]........ की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/9/24........को पेश हो।	

20/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। [illegible]
पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो।
[signature]

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

22.8.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वास्ते तलबी हेतु दिनांक 15/10/25 को पेश हो। [signature]

15/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। तामील हेतु बार-2 समय दिया गया किन्तु तामील नहीं कराई गई अतः पत्रावली अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]

21/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान वादी ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः रिस्टोर किया जाता है। तामील प्रतिवादी हुई। जवाब कराया। अतः प्रतिवादी का जवाब हेतु दिनांक 2/1/26 को पेश हो। [signature]

2/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। प्रतिवादी का जवाब कराया। जवाब पेश किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 4/2/26 को पेश हो। [signature]

4/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] हो। [signature]

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अराई

राजस्व प्रकरण संख्या– 45/2024

प्रेम कवंर पत्नी नाथू सिहं जाति राजपूत निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0

......प्रार्थी

बनाम

1. आसु सिंह पुत्र देवी सिहं जाति राजपूरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
2. भरत पुत्र बरदी सिंह जाति राजपूरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
3. मुरली मनोहर सिंह पुत्र वरद सिंह जाति राजपूरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
4. रेखा पुत्री वरद सिंह जाति राजपूरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
5. हेम सिंह पुत्र देवी सिहं जाति राजपूरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
6. गोरधन सिहं पुत्र देवी सिहं जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
7. श्रवण पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम तेजपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
8. राजेन्द्र सिहं उर्फ राजु पुत्र गोविन्द सिहं
9. सरोज कवंर पत्नी राजेन्द्र सिहं

सर्व जाति राजपूत सर्वनिवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.

10. अमर सिंह पुत्र सुगन सिहं जाति राजपूरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
11. कान सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति राजपूरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
12. चम्पालाल पुत्र सुगन सिंह जाति राजपुरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
13. जय सिहं पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
14. नरपत सिंह पुत्र श्रीकिशन सिंह जाति राजपुरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
15. बाबू सिंह पुत्र श्रीकिशन सिंह जाति राजपुरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
16. मदन सिंह पुत्र श्रीकिशन सिंह जाति राजपुरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
17. उमराव पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरा
18. नंदू देवी पत्नी पत्नी नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरा
19. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरा
20. पांची पत्नी नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरा
21. रूपा पुत्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरा
22. रामराज पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरा
23. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
24. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा अराई जिला अजमेर राज.
25. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अराई जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

वकील वादी अशोक शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अशोक शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राज0अधि0 1956 के तहत पेश किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 903 पुराना खाता संख्या 474 खसरा संख्या 2156 रकबा 3.2684 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है।प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर पद वदस्तुर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है।अप्रार्थीगण कृषि भूमियां जिनके खसरा संख्या 2155, 3963/2156, 3965/2156,2174, 4138/2154, 4139/2154 है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लगते हुए है तथा पडोस में स्थित है।प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उपरोक्त भूमि को लेकर सीमा विवाद चलता रहता है, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 22 आये दिन प्रार्थीया की भूमि में हस्तक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 आये दिन प्रार्थीया की कृषि भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उनकी कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद करते रहते है। उपरोक्त खसरा नम्बरान के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 आये दिन प्रार्थीया के साथ उनकी खातेदारी भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 25 श्रीमान तहसीलदार महोदय अराई के कार्यालय में सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन किया जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय, अराई के आदेश क्रमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/22/009 व दिनांक 12.04.2022 की पालना में दिनांक 12.04.2022 को मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 ने मौके पर नाप चौक होने के बावजूद भी सीमाओं को लांघ कर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप जारी रखा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 स्पष्ट खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड व ट्रेस में दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 25 राजस्व रिकार्ड धारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है एंव अप्रार्थी संख्या 23 व 24 के यहां अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 22 की कृषि आराजी रहन है इसलिए सीमा विवाद एंव पत्थरगढी करवाने हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क चस्पा कर श्रीमान के समक्ष अविलम्ब सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की भूमि नया खाता संख्या 903 पुराना खाता संख्या 474 खसरा संख्या 2156 रकबा 3.32684 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावें एंव अप्रार्थी संख्या 25 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से करने के आदेश प्रदान करावें

प्रकरण दिनाक 19.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा नोटिश तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजुद तामिली के बार बार अवसर देने के बावजूद प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी का जवाब बन्द कर एकपक्षिय कार्यवाही की गई। दिनाक 04.02.2026 को बहस सुनी गयी।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गइ। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज0भू0राज0अधि0 स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित खसरा संख्या 2156 रकबा 3.2684 हैक्टेयर भूमि का राज0 रिकॉर्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/– रू पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फिस 1000/– रू जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी के कब्जानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्तिधीन स्थिति को देखते हुए (एन. एच. में अवाप्तिधीन न हो)उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

अराई(अजमेर)